RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक १(२)] मंगळवार, फेब्रुवारी ६, २०१८/माघ १७, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

विधि तथा न्याय विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २३ जनवरी, २०१८।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2018.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE PANDHARPUR TEMPLES ACT, 1973.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक. ३ सन् २०१८।

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९७४ का महा.९।

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है की ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २ में संशोधन।

२. पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७४ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के खण्ड (च) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १९७४ का महा. ९।

" (च-१) " परिषद " या " सलाहकार परिषद " का तात्पर्य, धारा ३२क के अधीन गठित परिषद या सलाहकार परिषद से है;";

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २१ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २१ की उप-धारा (१) में,—

(क) " बारह सदस्य " शब्दों के स्थान में " पंद्रह सदस्य " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " ग्यारह सदस्य " शब्दों के स्थान में " चौदह सदस्य " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९७४ का महा. ९ का अध्याय ३ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम के अध्याय ३ के शीर्षक में, " समिति " शब्द के पश्चात् " **तथा सलाहकार परिषद** " शब्द जोड़े जायेंगे।

सन् १९७४ का महा. ९ में धारा ३२क का निवेशन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३२ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सलाहकार परिषद।

" **३२क.** (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समिति को सलाह देने के लिए सलाहकार परिषद गठित कर सकेगी।

(२) सलाहकार परिषद, निम्न से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(एक) समिति के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष।

(दो) कलक्टर, सोलापुर जिला, पदेन सदस्य।

(तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले सात से अनधिक अन्य सदस्य।

(३) समिति का कार्यकारी अधिकारी, सलाहकार परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

४. सलाहकार परिषद के कृत्य तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जिसे राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। सलाहकार परिषद उसकी बैठकों (गणपूर्ति समेत) में कारोबार के संव्यवहार संबंधी ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, जिसे समय-समय पर, विनिश्चित किया जा सकेगा।"।

वक्तव्य।

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (सन् १९७४ का महा.९) **अन्य बातों के साथ-साथ** पंढरपुर में विठ्ठल और रुक्मिणी के मंदिर में कार्यरत सेवक और पुरोहिती प्रवर्गों के सभी वंशागत अधिकारों, विशेषाधिकारों के उत्पादन के साथ ही ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के अर्जन के लिये और प्रयोजन के लिये स्थापित समिति में ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों को निहित करने के लिए और उन मंदिरों के बेहतर प्रशासन और सुशासन के लिये उपबंध करता हैं।

२. उक्त अधिनियम की धारा २१, राज्य सरकार को, राज्य में साधारण रुप से रहनेवाले व्यक्तियों में से, जो भगवान **विठ्ठल** और देवी **रुक्मिणी** के भक्त हैं और जो उनकी नियुक्ति के पूर्व, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित प्ररुप में तद्नुसार, अभिघोषणा करता हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष समेत सदस्यों से सम्मिलित समिति स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती हैं और पंढरपुर नगर परिषद का अध्यक्ष, **पदेन सदस्य** होगा।

३. समिति के क्रियाकलापों में असाधारण वृध्दि होने और मंदिर में आवश्यक मूलभूत सुख सुविधाएँ मुहैया करने और भगवान **विठ्ठल** तथा **देवी रुक्मिणी** के भक्तों, जो बडी संख्या में पंढरपुर में आते हैं, के लिए आवश्यक सुविधा मुहैया करने की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतित होता है कि, समिति को अधिक प्रभावी रूप से उसके कर्तव्य और कार्यों के निर्वहन में सलाह देने के लिए भगवान **विठ्ठल** और **देवी रुक्मिणी** के तथा अन्य संतो के धार्मिक कृत्य और धर्मानुष्ठान तथा परंपरा और रिवाजों समेत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव होनेवाले व्यक्तियों से मिलकर सलाहकार समिति का गठन करने और उससे संबंधित मामलों के लिए उपबंध करना आवश्यक है। इसलिए, उक्त अधिनियम में, यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

४. क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (सन् १९७४ का महा. ९) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांक २३ जनवरी २०१८।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्रा के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

नि. ज. जमादार,
सरकार के प्रधान सचिव और विधि परामर्शी।

(यथार्थ अनुवाद)
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.